2010:CGHC:10663

उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छतीसगढ **प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

रिट याचिका क्रमांक 512/1993

याचिकाकर्ता : अनिल गिलुरकर

बनाम

प्रतिवादी : बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं अन्य

दिनांक 22 फरवरी 2010 के लिए निर्णय की घोषणा हेतु सुरक्षित।

हस्ताक्षरित/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

20/02/2010

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2010:CGHC:10663

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

रिट याचिका क्रमांक 512/1993

याचिकाकर्ता : अनिल गिलुरकर

बनाम

प्रतिवादी : बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं अन्य

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका

कोरम : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थित : याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव।
उत्तरवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.के. वर्मा एवं अधिवक्ता सुमीत वर्मा।

निर्णय

(घोषणा दिनांक 22 फरवरी 2010)

1. इस याचिका में प्रतिवादी बैंक के अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित सेवा से निष्कासन के आदेश, दिनांक 25.11.1991 (अनुलग्नक पी/13) और संकल्प दिनांक 26.11.1992 (अनुलग्नक पी/16) को चुनौती दी गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 25.11.1991 के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को संचालक मंडल द्वारा खारिज कर दिया गया था।

2. संक्षेप में, विवाद के निर्णय के लिए प्रासंगिक निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को 03.05.1984 को प्रतिवादी बैंक में शाखा प्रबंधक के पद में नियुक्त किया गया था और वह पटेवा में पदस्थ था। तत्पश्चात, जून 1988 में, याचिकाकर्ता का पटेवा से तेंदुकोना स्थानांतरण कर दिया गया। 30.01.1989 को, याचिकाकर्ता को इस आधार पर आरोपित किया गया कि बैंक प्रबंधक के रूप में, याचिकाकर्ता ने एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना के तहत ईंटों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान किया है। वास्तव में, ऋण प्रदान नहीं किए गए थे, अपितु लेनदेन केवल कागजों में बनाया गया। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने लाभ प्राप्त करने के लिए कदाचार किया है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता का आचरण बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंक (कर्मचारी सेवा विनियम), 1980 (संक्षेप में 'विनियम, 1980') के प्रावधानों के तहत कदाचार के समान है। याचिकाकर्ता ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए 11.02.1989 को अपना जवाब (अनुलग्नक पी/3) प्रस्तुत किया। ततपश्चात श्री जे.के. शर्मा को 31.3.1989 को जांच अधिकारी एवं श्री जे.के. शुक्ला, वरिष्ठ प्रबंधक, प्रधान कार्यालय, बिलासपुर को बैंक का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने दिनांक 14.10.1989 को 11 गवाहों की सूची प्रस्तुत की (अनुलग्नक पी/5)। श्री डी.पी.पाठक, केशियर सह लेखाकार से पूछताछ की गई। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने कुछ ऋण मामले पेश किए और इस प्रकार, जांच की प्रक्रिया पूर्ण की गयी। जाँच अधिकारी ने दिनांक 23.01.1991 को जांच प्रतिवेदन (अनुलग्नक पी/11) के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोपित वित्तीय भ्रष्टाचार के संबंध में कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और न ही किसी गवाह का परीक्षण किया गया है। इस प्रकार, वित्तीय भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध नहीं पाए गए।

3. जांच अधिकारी के निष्कर्ष से असहमत होकर अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने 10.09.1991 को कारण बताओ नोटिस जारी किया (अनुलग्नक पी/9) जिसमें सेवा से निष्कासन का आदेश प्रस्तावित किया गया था। याचिकाकर्ता ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए 18.09.1991 को अपना जवाब दाखिल किया (अनुलग्नक पी/12) जिसमें अभिवचन किया गया कि गवाहों की सूची में उद्धृत 11 गवाहों में से केवल एक गवाह रतनलाल का परीक्षण किया गया था और याचिकाकर्ता को बाहरी सामग्री नहीं दी गई थी जिसके कारण अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी के विपरीत दृष्टिकोण अपनाया। सेवा से निष्कासन का आदेश (अनुलग्नक पी/13) 25.11.1991 को पारित किया गया था। अपीलीय प्राधिकारी अर्थात संचालक मंडल ने, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा 26.11.1992 को पारित आदेश (अनुलग्नक पी/16) की पुष्टि करते हुए अपील को खारिज कर दिया। अतः यह याचिका इस प्रकार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को दिया गया आरोप पत्र अस्पष्ट था क्योंकि इसमें किसी मामले या घटना का उल्लेख नहीं है जिससे अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अस्पष्ट आरोप पत्र में बताई गई वित्तीय अनियमितताएं थीं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के लिए अस्पष्ट आरोपों के आधार पर अपना बचाव करना संभव नहीं था। जांच के दौरान कुछ दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और कुछ गवाहों का परीक्षण करने से याचिकाकर्ता के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा

है। वैकल्पिक रूप से याचिकाकर्ता को आरोप पत्र के साथ दस्तावेजों की सूची या गवाहों की सूची नहीं दी गई। इस प्रकार यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। एक बार जब जांच अधिकारी ने अस्पष्ट आरोपों को निराधार और सिद्ध नहीं पाया है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए था, लेकिन वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार, सेवा से निष्कासन का शास्ति अधिरोपण आदेश पारित करना गलत एवं दूषित है, जिसे अभिखंडित किये जाने योग्य है, जिसे परिणामी अनुतोषों के साथ पूरे बकाया वेतन के साथ बहाली की जानी चाहिए

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी-बैंक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुमित वर्मा के साथ उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी के वर्मा ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने और गवाहों से प्रतिपरीक्षण करने का पूरा अवसर दिया गया था। स्वीकृत साक्ष्य में, आरोप पत्र के साथ दस्तावेजों और गवाहों की कोई सूची नहीं दी गई थी। हालांकि, विनियम, 1980 के तहत आरोप पत्र के साथ गवाहों की सूची या दस्तावेजों की सूची प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। आरोप न तो अस्पष्ट हैं और न ही निराधार हैं। अनुशासनात्मक प्राधिकारी एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाने और उचित आदेश पारित करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इस प्रकार, सेवा से निष्कासन का आदेश न्यायसंगत और उचित है। याचिकाकर्ता को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष भी अपना मामला प्रस्तुत करने का पूरा अवसर मिला था। इस प्रकार, इस स्तर पर, याचिकाकर्ता को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने, तर्क और संलग्न दस्तावेजों एवं अभिवचनों का अवलोकन करने के बाद, इसमें कोई विवाद नहीं है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत नहीं है। 10.09.1991 के नोटिस (अनुलग्नक पी/9) में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि याचिकाकर्ता को याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के कारण बताओ नोटिस का जवाब देना है क्योंकि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर विपरीत रुख अपनाया था कि जांच अधिकारी ने वित्तीय भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित नहीं पाया था। 10.09.1991 का आदेश, जो 10.09.1991 के नोटिस (अनुलग्नक पी/9) के साथ संलग्न प्रतीत होता है, आरोपों के बारे

में वही तथ्य देता है। नोटिस में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है कि याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने का दण्ड क्यों अधिरोपित नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता ने उक्त नोटिस का विस्तृत उत्तर देते हुए कहा है कि विमला बाई, चेतन लाल गोंड, मिलवंतिन और रतन लाल के साक्ष्यों पर अवलंब स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अभियोजन पक्ष ने केवल रतनलाल का ही परीक्षण किया था। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अन्य ऋणियों से पूछताछ नहीं की गई और याचिकाकर्ता को भी उनसे प्रतिपरिक्षण करने का अवसर नहीं दिया गया। 17 ऋणियों ने संयुक्त बयान दिए हैं और उनके बयान की जाँच नहीं की गई। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर पारित किया गया था।

7. आरोप पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें किसी विशिष्ट दस्तावेज़ या ऐसे व्यक्तियों के नाम का उल्लेख नहीं है जिन्हें ऋण नहीं दिया गया था, लेकिन कागज़ात से पता चलता है कि उन्हें ऋण दिया गया था। आरोप पत्र इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. "आपने दुराशय से प्रेरित होकर बैंक एवं शासन के नियमों एवं हितों की घोर उपेक्षा करते हुए एक अल्प समयावधि में बड़ी संख्या में ईंट निर्माण के ऋण प्रकरण एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत कर वितरित किये और इनमें से अधिकांश ऋण प्रकरणों में आपने सम्पूर्ण ऋण राशि का वास्तविक वितरण किये बिना सिर्फ कागज़ी कार्यवाही पूर्ण करके सम्पूर्ण ऋण का नगद वितरण दर्शाते हुए ऋण राशि का एक अल्पांश ही संबंधित ऋणियों को नगद दिया तथा शेष राशि में से कुछ राशि ऋणियों के बचत खाते में जमा करवाई और शेष राशि आपने अन्य साथियों के साथ मिलकर हड़प कर ली। अपने इस कृत्य पर परदा डालने के इरादे से आपने ऋण वितरण के कुछ समय के बाद ही सबंधित ऋणियों के बचत खाते से राशि निकलवाकर अधिकांश ऋण खाते समय के पूर्व ही बंद कर दिए। इस प्रकार अपने व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए जानबूझकर आपने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए व्यापक आर्थिक भ्रष्टाचार किया है। जिससे बैंक शासन एवं ऋणियों के हितों को गंभीर आघात पहुंचाने के साथ ही बैंक की छवि भी धूमिल हुई है आपका यह कृत्य कर्मचारी वृन्द सेवा विनियम की धारा 17, 19 एवं 30 (1) के अंतर्गत कदाचार है।"

इस प्रकार, मुझे यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि आरोप पत्र अस्पष्ट था क्योंकि इसमें कोई विशिष्ट आरोप नहीं थे।

8. सेवा से निष्कासन के अंतिम आदेश में यह खुलासा नहीं किया गया था है कि याचिकाकर्ता के उत्तर पर विचार किया गया था या नहीं। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि संचालक मंडल ने सभी तथ्यों पर विचार किए बिना याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की। उक्त आदेश दिनांक 10.09.1991 का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

"श्री गिरुलकर ने अपनी संक्षेपिका में यह इंगित किया है कि, उन्हें गवाहों से प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं मिला जबकि जांच कार्यवाही के अवलोकन से यही प्रकट होता है कि श्री गिरुलकर जानबूझकर उन्हें प्रदत्त परीक्षण को टालना चाहते थे।

मैं जांच अधिकारी के अभिमत से सहमत नहीं हूं कि श्री गिरुलकर पर आर्थिक भ्रष्टाचार आरोप स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं होता। श्री गिरुलकर ने बैंक के नियमों के विरुद्ध ऋण वितरण करके बचत खाते में ऋण राशि का एक बड़ा हिस्सा जमा किया जिससे संबंधित ऋणी अपना व्यवसाय सुचारू रूप से आरम्भ नहीं कर सके। श्री गिरुलकर ने न केवल बैंक के नियमों का उल्लंघन किया, वरन बैंक को जानबूझकर आर्थिक नुकसान पहुँचाने की चेष्टा की एवं अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बैंक की छवि को धूमिल की।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए एवं आरोप की गंभीरता को देखते हुए मैंने बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी वृन्द सेवा विनियम की धारा 30(1) के अंतर्गत श्री गिरुलकर को न केवल बैंक की सेवा से पृथक (सेवा से निलंबित) करने का वरन बैंक द्वारा श्री गिरुलकर को प्रॉविडेंट फण्ड में दिए गए योगदान (बैंक योगदान) जब्त करने में अनंतिम निर्णय लिया है।

इसके पूर्व कि इस प्रकरण में अंतिम आदेश पारित करूँ, श्री गिरुलकर को मेरे आदेश एवं जांच अधिकारी के प्रतिवेदन की एक प्रति भेजते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया जावे कि क्यों न उन्हें प्रस्तावित दंड से दंडित किया जावे।"

9. इस न्यायालय ने **<u>दुर्गेश प्रसाद सिन्हा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य</u>** में 'कारण बताओ नोटिस' शब्द का निपटारा करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"'कारण बताओ नोटिस' का तात्पर्य स्पष्ट और स्पष्ट नोटिस पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देना है। इस प्रकार, मामले के तथ्यों में, दस्तावेजों की वास्तविकता या प्रामाणिकता साबित करने के लिए जवाब दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस दिए बिना ही याचिकाकर्ताओं के संज्ञान में एक सूचना लाई गई।"

10. **<u>सुरथ चंद्र चक्रवर्ती बनाम पश्चिम बंगाल राज्य</u>** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

"5. जिन आधारों पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव है उन्हें एक निश्चित आरोप या आरोपों के रूप में कम किया जाना चाहिए, जिन्हें आरोपित व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए, साथ ही उन आरोपों का विवरण भी दिया जाना चाहिए जिन पर प्रत्येक आरोप आधारित है और कोई अन्य परिस्थिति जिसे आदेश पारित करते समय ध्यान में रखा जाना प्रस्तावित है, उसे भी बताया जाना चाहिए। यह नियम एक सिद्धांत को मूर्त रूप देता है जो स्वयं का बचाव करने के लिए एक युक्तियुक्त या पर्याप्त अवसर की बुनियादी सामग्री में से एक है। यदि किसी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से और निश्चित रूप से नहीं बताया जाता है कि वे आरोप क्या हैं जिन पर उसके खिलाफ लगाए गए आरोप आधारित हैं, तो वह संभवतः अपनी कल्पना को पेश करके, उन सभी तथ्यों और परिस्थितियों का पता नहीं लगा सकता है जो उसके खिलाफ स्थापित किए जाने वाले अधिकारियों के चिंतन में हो सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. **<u>सवाई सिंह बनाम राजस्थान राज्य</u>** में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"14. इस तथ्य के अलावा, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आरोप अस्पष्ट थे और किसी भी अभियुक्त द्वारा आरोपों का निष्पक्ष रूप से सामना करना कठिन था। प्रस्तुत साक्ष्य सतही थे और अभियुक्त के अपराध को बिल्कुल भी प्रमाणित नहीं करते थे।

15. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.डी. शर्मा ने तर्क दिया कि जाँच अधिकारी या उच्च न्यायालय के समक्ष कोई आरोप नहीं लगाया गया था कि आरोप अस्पष्ट थे। वास्तव में अपीलकर्ता ने जाँच में भाग लिया था। यह अपने आप में विभाग को आरोपों को प्रमाणित करने के लिए दोषमुक्त नहीं करता है।

16. इस न्यायालय ने **सुरथ चंद्र चक्रवर्ती बनाम पश्चिम बंगाल राज्य** में यह देखा है कि सेवा समाप्ति के परिणामों से संबंधित आरोप विशिष्ट होने चाहिए, हालाँकि एक विभागीय जाँच एक आपराधिक मुकदमे की तरह नहीं है जैसा कि इस न्यायालय ने **राज्य ए.पी. बनाम एस. श्री रामा राव** के मामले में कहा था और इस प्रकार ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई अपराध तब तक स्थापित नहीं होता जब तक यह संदेह से परे सिद्ध है। लेकिन किसी विभागीय जाँच में, जिसके परिणाम नौकरी छूटने जैसे हों, जिसका आजकल अर्थ आजीविका का नुकसान होता है, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए; किसी कर्मचारी के विरुद्ध प्रतिकूल या दंडात्मक परिणामों से संबंधित आदेश के संबंध में, परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुरूप और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार आरोपों की जाँच होनी चाहिए, जहाँ तक ये किसी विशेष परिस्थिति में लागू होते हैं।

12. **भारत संघ एवं अन्य बनाम ज्ञान चंद छत्तर** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

> "27....जहां किसी अपचारी को विशिष्ट और निश्चित आरोप दिए बिना आरोप-पत्र दिया जाता है और आरोप-पत्र के साथ आरोप का कोई विवरण नहीं दिया जाता है, तो संपन्न जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में किए जाने के कारण दोषपूर्ण हो जाती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. **पंजाब नेशनल बैंक बनाम कुंज बिहारी मिश्रा** मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "17. ये टिप्पणियाँ स्पष्ट रूप से पहले उद्धृत बिमल कुमार पंडित मामले की टिप्पणियों के अनुरूप हैं और पहले चरण में ही लागू होंगी। उपरोक्त अंश स्पष्ट रूप से उस प्राधिकारी की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं जो अंततः प्रतिकूल निष्कर्ष दर्ज करेगा ताकि अपचारी अधिकारी को सुनवाई का अवसर दिया जा सके। यदि जाँच अधिकारी ने प्रतिकूल निष्कर्ष दिया था, तो करुणाकर मामले के अनुसार, पहले चरण में कर्मचारी को अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना आवश्यक था, भले ही जाँच अधिकारी द्वारा उन्हें पहले ही अवसर दिया जा चुका हो। यह

तर्क नहीं दिया जा सकता कि जब अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अपचारी अधिकारियों के पक्ष में दिए गए निष्कर्ष को पलटने का प्रस्ताव है, तो कोई अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। जाँच का पहला चरण तब तक पूरा नहीं होता जब तक अनुशासनात्मक प्राधिकारी अपने निष्कर्ष दर्ज नहीं कर लेता। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, अपचारी अधिकारी के विरुद्ध निर्णय देने का प्रस्ताव रखने वाले प्राधिकारी को उसे सुनवाई का अवसर देना चाहिए। जब जाँच अधिकारी आरोपों को सिद्ध करने योग्य मानता है, "तब वह रिपोर्ट अपचारी अधिकारी को दी जानी चाहिए जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा आगे की कार्रवाई करने से पहले अभ्यावेदन दे सकता है जो अपचारी अधिकारी के लिए प्रतिकूल हो सकती है। जब, वर्तमान मामले की तरह, जांच रिपोर्ट अपचारी अधिकारी के पक्ष में है लेकिन अनुशासनात्मक प्राधिकारी ऐसे निष्कर्षों से असहमत होने का प्रस्ताव करता है, तो वह प्राधिकारी जो अपचारी अधिकारी के खिलाफ निर्णय दे रहा है उसे सुनवाई का अवसर देना चाहिए अन्यथा उसे अनसुना कर दिया जाएगा। विभागीय कार्यवाहियों में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी का निष्कर्ष ही अंतिम महत्व रखता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. **<u>लव निगम बनाम चेयरमैन एवं एम.डी. आईटीआई लिमिटेड एवं अन्य</u>** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"10. उच्च न्यायालय का निष्कर्ष इस न्यायालय द्वारा लिए गए इस सुसंगत दृष्टिकोण के विपरीत था कि यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी जाँच अधिकारी द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न है, तो वह अपीलकर्ता को अपने अनंतिम निष्कर्ष बताते हुए एक नोटिस देने के लिए बाध्य है। अपीलकर्ता को सुनने के बाद ही अनुशासनात्मक प्राधिकारी दोष के अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचेगा। इसके बाद, कर्मचारी को प्रस्तावित दंड से संबंधित एक नोटिस फिर से देना होगा।"

15. पूर्वोक्त विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, और जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में अभिनिर्धारित किया गया है, याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप अस्पष्ट और विशिष्ट

नहीं थे। निस्संदेह, आरोप-पत्र के साथ आरोपों का कोई विवरण संलग्न नहीं था। यह सत्य है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक जाँच पूरी नहीं होती। हालाँकि, जाँच विशिष्ट आरोपों पर होनी चाहिए। ऊपर बताए गए कारणों से, संपूर्ण जाँच दूषित है। अतः, दिनांक 25.11.1991 (अनुलग्नक P/13) और 26.11.1992 (अनुलग्नक P/16) के आक्षेपित आदेश अभिखंडित किए जाने योग्य हैं और याचिकाकर्ता सेवा में पुनः बहाली का हकदार है।

16. तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को 26.11.1993 को सेवा से हटा दिया गया था और याचिकाकर्ता लगभग 17 वर्षों तक सेवा से बाहर रहा, याचिकाकर्ता बकाया वेतन पाने का हकदार है। तथापि, चूंकि यह धन जनता का है, इसलिए पिछली मजदूरी के बदले में मुआवजा देना न्याय के हित में विवेकपूर्ण होगा।

17. सर्वोच्च न्यायालय ने, **सुरजीत घोष बनाम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक एवं अन्य'** मामले में, इसी मामले का निपटारा करते हुए, जिसमें याचिकाकर्ता लगभग 13 वर्षों से सेवा से बाहर था, मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1995 में मुआवज़ा प्रदान किया था। अतः, याचिकाकर्ता के बकाया वेतन के दावे के बदले में उसे 1.5 लाख रुपये (केवल एक लाख पचास हज़ार रुपये) की राशि मुआवज़े के रूप में प्रदान करना समीचीन होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. यह निर्देश दिया जाता है कि:

क. दिनांक 25.11.1991 (अनुलग्नक पी/13) और 26.11.1992 (अनुलग्नक पी/16) के आदेश अभिखंडित किये जाते हैं।

ख. याचिकाकर्ता को सेवा में निरंतरता के साथ तथा उस पद पर वरिष्ठता की हानि के बिना बहाल किया जाएगा, जिसके लिए वह आज हकदार है।

ग. याचिकाकर्ता अपने वेतन के बकाया के बदले 1.5 लाख रुपये (केवल एक लाख पचास हजार रुपये) के मुआवजे का हकदार होगा।

इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर आदेशों का

अनुपालन किया जाएगा।

19. परिणामस्वरूप, रिट याचिका को उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है।

20. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

TRANSLATED BY : किरण साहू (अधिवक्ता)